न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 96/2014

प्रार्थी :–

1. सीताराम पुत्र मोहनराम जाति–जाट निवासी–फरड़ौद, तहसील–जायल

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजूदेवी पत्नी सीताराम जाति–जाट निवासी–फरड़ौद तहसील जायल
2. हड़मान पुत्र गेनाराम जाति–जाट निवासी–फरड़ोद तहसील जाय
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौ प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी 1, 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 87 रकबा 7.16 बीघा मौजा–फरड़ौद तहसील–जायल की सरहद में आया हुआ है, जिसके पश्चिम में खेत खसरा नं. 86, 85 की सामलाती सींव है, खसरा नं. 86 से 99 तक एक कदमी रास्ता जो कि नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया है। वर्तमान में चल रहा है तथा सभी खसरो में काश्त करने व अन्य खेती के कार्य हेतु खुला है। सभी काश्तकार उक्त रास्ते का उपभोग/उपयोग कर रहे है। परन्तु खसरा नं. 86 व 85 की खातेदार मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से मना कर रही है तथा उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है यही एक मात्र कटाणी रास्ते से नजदीकी रास्ता लगता है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 87 में कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 87 के लिए अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर

30/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत में से माफिक नजरी नक्शानुसार 20 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत फरमावे। उक्त रास्ते हेतु उपभोग में आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी अप्रार्थीगण को नियमानुसार देय प्रतिकर राशि भुगतान करने हेतु सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 3 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2215 दिनांक 02.08.2019 के प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने पर भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र संबंध में तहसीलदार जायल से प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत के लगने वाले सभी कटाणी/कदीमी रास्तों को संलग्न नक्शा में प्रदर्शित करते हुये बताया कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा नं. 87 , खेत खसरा नं. 85 व 86 के खातेदार काश्तकार द्वारा आने जाने से मना करने के कारण बिना काश्त किये हुये है। जिसमें आने जाने के लिए कदीमी रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार प्रदर्शित है। प्रार्थी द्वारा वांछित/प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है। प्रस्तावित रास्ते के लिए उपभोग में आने वाली भूमि खसरा नं. 85, 86 की डी.एल.सी दर राशि 27908/–रू. प्रतिबीघा है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिसमें पक्षकारान् को प्रकरण के विचाराधीन की सूचना तथा तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट अपेक्षित होती है। प्रकरण हाजा में तहसीलदार जायल मौका रिपोर्ट भी दिनांक 02.08.2019 को प्राप्त होकर सामिल मिसल है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी कर सूचित किया गया है। जिसके उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से एक इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने तथा प्रकरण हाजा का काफी पुराना अर्थात वर्ष 2014 से विचाराधीन होने से हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम के लिए तारीख पेशी नियत की गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 87 रकबा 7.16 बीघा मौजा–फरड़ौद तहसील–जायल की सरहद में आया हुआ है, जिसके पश्चिम में खेत खसरा नं. 86, 85 की सामलाती सींव है, खसरा नं. 86 से 99 तक एक कदमी रास्ता जो कि नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया है। वर्तमान में

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

चल रहा है तथा सभी खसरो में काश्त करने व अन्य खेती के कार्य हेतु खुला है। सभी काश्तकार उक्त रास्ते का उपभोग/उपयोग कर रहे है। परन्तु खसरा नं. 86 व 85 की खातेदार मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से मना कर रही है तथा उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है यही एक मात्र कटाणी रास्ते से नजदीकी रास्ता लगता है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 87 में कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 87 के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत में से माफिक नजरी नक्शानुसार 20 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत फरमावे। उक्त रास्ते हेतु उपभोग में आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी अप्रार्थीगण को नियमानुसार देय प्रतिकर राशि भुगतान करने हेतु सहमत है।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2019का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 87 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 85, 86 के में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में खातेदार कृषक की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता दिये का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ग्राम फरड़ौद तहसील जायल के खेत खसरा नं. 86 व 85 में से सींव की माठ पर मुख्य कटाणी मार्ग खसरा नं. 745 से चिपता कदीमी रास्ता खसरा नं. 960/2008 एवं 960 की उतरी–पश्चिमी सींव से शुरू होकर खसरा नं. 69 तक प्रचलित है से चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा खातेदारी खेत खसरा नं. 87 के लिए नजरी नक्शानुसार (ए–बी) प्रस्तावित रास्ता निकटतम कटाणी रास्ते से नहीं होकर कदीमी रास्ते से है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251क की मंशानुरूप किसी भी खातेदार काश्तकार को अपने खातेदार खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध पाये जाने पर खातेदारी खेत के लिए निकटतम मुख्य कटाणी मार्ग से नियमानुसार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता मुख्य कटाणी रास्ते से नहीं चाह कर कदीमी रास्ता से चाहा गया है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

सीताराम बनाम राजूदेवी वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 96/2014

अतः हम प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क तहत रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना ग्राम फरड़ौद तहसील–जायल जिला–नागौर के खेत खसरा नं. 85, 86 में से 20 फीट चौड़ाई के संबंध मुख्य कटाणी मार्ग से रास्ता प्रस्तावित नहीं किये जाने से तकनीकी आधार पर त्रुटीपूर्ण होने के कारण खारिज योग्य समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी द्वारा ग्राम–फरड़ौद तहसील जायल के खसरा नं. 86 व 85 में से 20 चौड़ाई का रास्ता हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तकनीकी आधार पर त्रुटीपूर्ण होने तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/03/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

30/03/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जि. नागौर

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *